

(प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 30

दिनांक 5/10/2021

:-आदेश:-

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार पालना के आधार पर श.क. गोवरी प.ह.कोठी
 की वृत्ति ख.न. 323, उपाजा उपप, पट्टा 7.49 है। इस वृत्ति पर सुखदेव पुत्र कालू के स्थान
 पर सुखदेव पुत्र कालू उभे जाते हैं। आदेश दिए जाते हैं।
 इसी की न्यायालय में स्थान कावेरि न होने पर राजस्व
 रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। (बोच जमावा) कट्टरुदर।

तहसीलदार दांतारामगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-
 दरामद कर पालना से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे !

उपखण्ड अधिकारी-दांतारामगढ़
 राजेश कुमार मीणा
 उपखण्ड जिला-सीकर (दांतारामगढ़) जिला सीकर